

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अधीन रोजगार हेतु कोयला धारक आधिनियम 1957 के अधीन अधिगृहीत खाता सं.04 के अधीन प्लॉट सं.19,23,24,29,186,204,249,285,288,293,321,331,370,372,378 ,335,351,366,379,163,165,56,72,77,93,133,136 and 166 (10.00 एकड़) के तहत ग्राम: कुंडी और देओलगड़ा थाना: टंडवा जिला: चतरा (झारखण्ड) के निवासी(1) श्री मुकेश कुमार सुपुत्र स्वर्गीय छट्टू साव (2)श्री जितेन्द्र कुमार सुपुत्र छट्टू साव,(3) श्री ममता कुमारी सुपुत्री छट्टू साव, (4) श्री राजेश प्रसाद सुपुत्र पति रूबी देवी (5) श्री बिनय कुमार पति रंजु देवी से संबन्धित एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस

सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा की ग्राम: कुंडी और देओलगड़ा थाना: टंडवा जिला: चतरा (झारखण्ड) के निवासी(1) श्री मुकेश कुमार सुपुत्र स्वर्गीय छट्टू साव (2)श्री जितेन्द्र कुमार सुपुत्र छट्टू साव,(3) श्री ममता कुमारी सुपुत्री छट्टू साव, (4) श्री राजेश प्रसाद सुपुत्र पति रूबी देवी (5) श्री बिनय कुमार पति रंजु देवी के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

1
X